राजस्थान सरकार
आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग

पत्रांक: एफ.4(1) आ.प्र.एवं सआ/पेयजल/2009/ 1954-78 जयपुर, दिनांक 7.2.2009

जिला कलेक्टर,
अजमेर बाड़मेर, भीलवाड़ा, बीकानेर,
डूंगरपुर, जैसलमेर, जालौर, जोधपुर,
नागौर, पाली, राजसमन्द, सिरोही।

विषय:– सम्वत 2065 में अभावग्रस्त घोषित जिलों में पेयजल व्यवस्था बाबत।

महोदय,

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निर्देशानुसार लेख है कि राज्य सरकार द्वारा अभावग्रस्त घोषित जिलों में तुरन्त प्रभाव से पेयजल व्यवस्था करने का निर्णय लिया है। राज्य के डूंगरपुर, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर, अजमेर, जालौर, पाली, बीकानेर, राजसमन्द एवं भीलवाड़ा जिलों में घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत या इससे अधिक है। अतः इन जिलों में सभी क्षेत्रों के लिए पेयजल परिवहन आपदा राहत कोष से देय होगा। इसके अतिरिक्त सिरोही एवं नागौर जिलों में घोषित अभावग्रस्त राजस्व ग्रामों की संख्या 25 प्रतिशत से कम होने के कारण केवल अभावग्रस्त घोषित ग्रामों में ही पेयजल परिवहन व्यय आपदा राहत कोष से देय होगा तथा शेष क्षेत्र के लिए पेयजल व्यवस्था जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग द्वारा की जावेगी।

इस सम्बन्ध में सहायता निर्देशिका के अनुच्छेद–9(9.1 से 9.15 तक) में दिये गये निर्देशों की पालना सुनिश्चित करावें।

भवदीय,

शासन उप सचिव